ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R-5018-II/16

1. बुलकिया साहू, उम्र– 60 वर्ष पेशा कृषि/मजदूरी
2. गेंदवती साहू , उम्र– 58 वर्ष पेशा कृषि/मजदूरी

दोनों के पिता श्री दुलारे साहू निवासी ग्राम कठर्रा, तह0 बहरी (सिहावल), जिला सीधी (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. बाकेंलाल गुप्ता तनय श्री लखेश्वर गुप्ता, उम्र– 46 वर्ष, पेशा कृषि निवासी ग्राम कुबरी, तहसील बहरी(सिहावल) जिला सीधी (म0प्र0)
2. गजाधर तनय अधीने चमार
3. गोलई तनय बंटा चमार
4. ददोले तनय मोलई चमार
5. मोतिया तनय शिवचरण कोल
6. रघुवंश साहू
7. हरिवंश साहू
8. बेदमणि साहू
9. हीरामणि साहू

(6–9) चारों के पिता श्री दुलारे साहू

10. रामजनम साहू पिता हरिवंश साहू
11. रामानुज साहू पिता रघुवंश साहू
12. लछिमन तनय मोतीलाल साहू

सभी निवासी ग्राम कठर्रा, तह0 बहरी (सिहावल) जिला सीधी (म0प्र0)

..................गैरनिगरानानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तह0 बहरी जिला सीधी के प्र.क्र. 03/अ–70/15–16 में पारित आदेश दिनांक 28.11.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0 संहिता 1959 ई0।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5018 / II / 2016 जिला–सीधी

बुलकिया साहू / बाकेलाल गुप्ता वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हेमकुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील बहरी के प्रकरण क्रमांक 03 / अ–70 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	